# प्रपत्र VI

## जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

## (भू–अर्जन शाखा)

### प्रारंभिक अधिसूचना

### (अधिनियम– 30/2013 की धारा 11 (1) के अधीन)

संख्या– 185 (बी0)/भू०अ०, प० सिंहभूम, चाईबासा, दिनांक :– 07.04.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है ग्राम– बड़ाराईखमन, थाना– कोल्हान, थाना नं०– 330, अंचल– कुमारडुंगी, जिला– पष्चिमी सिंहभूम में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना तांतनगर–मझगॉव–कुमारडुंगी पथ के (34.00 कि0मी0 से 60.00 कि0मी0) 56वें कि0मी0 में उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा–निम्न है– "सेतु निर्माण के दौरान ज्यादातर लोगों की जमीन का अंष भाग अधिग्रहित किया जायेगा। परियोजना हेतु भू–अर्जन किये जाने की सहमति दी जाती है"। भू–अर्जन के कारण कुल षून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी को प्रषासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– बड़ाराईखमन, थाना– कोल्हान, थाना नं०– 330, अंचल– कुमारडुंगी, जिला– पष्चिमी सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवष 0.06 एकड़ है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

| क्र0 | खाता सं0 | सर्वे प्लॉट सं0 | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भूखंड सं0) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | उत्तर | दक्षिण | पुरब | पश्चिम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 146 | 356 | रैयती | दोन | 0.06 | वैदु हो, सुदर्षन हो पिता– टोटो हो, कपतान हो पिता– मांगा हो | 355 | 355 | रास्ता | 355 |
| | | **Total-** | | | 0.06 | | | | | |

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा– 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पष्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथानिनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पष्चिमी सिंहभूम, चाईबासा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पष्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
प० सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त
प० सिंहभूम, चाईबासा।

# प्रपत्र VI

## जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

## (भू–अर्जन शाखा)

### प्रारंभिक अधिसूचना

### (अधिनियम– 30/2013 की धारा 11 (1) के अधीन)

संख्या– 186(बी0)/भू०अ०, प० सिंहभूम, चाईबासा, दिनांक :– 07.04.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है ग्राम– छोटालुन्टी, थाना– कोल्हान, थाना नं०– 332, अंचल– कुमारडुंगी, जिला– पष्चिमी सिंहभूम में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना तांतनगर–मझगॉव–कुमारडुंगी पथ के (34.00 कि0मी0 से 60.00 कि0मी0) 56वें कि0मी0 में उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा–निम्न है– "सेतु निर्माण के दौरान ज्यादातर लोगों की जमीन का अंष भाग अधिग्रहित किया जायेगा। परियोजना हेतु भू–अर्जन किये जाने की सहमति दी जाती है"। भू–अर्जन के कारण कुल षून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी को प्रषासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– छोटालुन्टी, थाना– कोल्हान, थाना नं०– 332, अंचल– कुमारडुंगी, जिला– पष्चिमी सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवष 0.02 एकड़ है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

| क्र0 | खाता सं0 | सर्वे प्लॉट सं0 | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भूखंड सं0) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | उत्तर | दक्षिण | पुरब | पश्चिम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 130 | 916 | रैयती | गोडा | 0.02 | निर्मल हो पिता– गोनो हो | 917 | 915 | सड़क | नीज |
| | | **Total-** | | | 0.02 | | | | | |

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा– 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पष्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथानिनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पष्चिमी सिंहभूम, चाईबासा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पष्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी
प० सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त
प० सिंहभूम, चाईबासा।